कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर [illegible]

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.
दावा संख्या : 174 / 2013
निर्णय दिनांक : 19.02.2018

उनवान

1. हनुमान पुत्र गणेश उम्र 60 वर्ष जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)।

1/1. राजू पुत्र स्व. हनुमान निवासी 63, माला की ढाणी, गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...वादी

बनाम

1. गणेश पुत्र श्योनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)।
2. शंकर पुत्र श्री गणेश जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. रामेश्वर पुत्र गणेश जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र श्री गणेश जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. लालाराम पुत्र श्री गणेश जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. गोपाली देवी पत्नि श्री लालाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. भगवती शर्मा पत्नि रामेश्वर जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. हरेकृष्णा बिल्डहोम डवलपर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर जरिये निदेशक लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री खेमराज चौधरी।
9. उप पंजीयक सांगानेर जिला जयपुर।
10. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 अविभाजित हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। स्व0 श्री बालू के तीन पुत्र श्री हनुता, श्री श्योनारायण एवं श्री सुखा थे। हनुता एवं सुखा दोनों ही निसन्तान थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नीयाँ क्रमशः श्रीमती बरजी एवं श्रीमति गणेशी दोनों का ही देहान्त हो चुका है। श्योनारायण के दो पुत्र श्री गणेश (प्रतिवादी सं0 1) एवं श्री कालू हैं। चूंकि श्री हनुता एवं सुखा दोनों ही निसन्तान फौत हो गये। अतः हनुता की पगडी गणेश (प्रतिवादी सं0 1) के बंधी एवं सुखा की पगडी श्री कालू के बंधी। इस प्रकार गणेश एवं कालू, अपने जैविक पिता श्योनारायण की सम्पत्ति के अतिरिक्त क्रमशः श्री हनुता एवं सुखा की सम्पत्तियों के भी वारिस बने। प्रतिवादी सं0 1 गणेश के 5 पुत्र हैं जो कि हनुमान (वादी), शंकर (प्रतिवादी सं0 2), रामेश्वर (प्रतिवादी सं0 3), बाबूलाल (प्रतिवादी सं0 4) [illegible]

बा, खसरा नम्बर 64 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी। जिसके हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर 21 रकबा हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 1.09 है0, खसरा नम्बर 23 रकबा 1.22 है0, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.17 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.23 हैक्टेयर ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में भी है। उक्त पैतृक शामिलाती भूमि पूर्व खातेदार बालू के तीन पुत्र हनुता, श्योनारायण एवं सुखा थे, जिनका उक्त भूमि में 1/3, 1/3 बराबर हिस्सा था। चूंकि हनुता एवं सुखा दोनों का निसन्तान देहान्त प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्योनारायण के जीवनकाल में ही हो गया था एवं हनुता की पगडी गणेश प्रतिवादी संख्या 1, सुखा की पगडी कालू के बंधी थी। अतः उक्त पैतृक शामिलाती भूमि में गणेश प्रतिवादी संख्या 1 व कालू का बराबर आधा–आधा हिस्सा था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में तथ्यात्मक भूल के कारण उक्त भूमि का 1/3 हिस्सा गणेश (प्रतिवादी संख्या 1) एवं 2/3 हिस्सा कालू के नाम दर्शा दिया गया। उक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक वाद संख्या 42/99 न्यायालय श्रीमान उप खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के समक्ष बाबत घोषणा एवं तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 83 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व कालू पुत्र श्योनारायण एवं अन्य किया गया। उक्त दावे के दौराने ही दोनो पक्षों में राजीनामा हो गया एवं राजीनामें के आधार पर डिक्री जारी किये जाने की प्रार्थना खारिज करते हुए श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 29.01.2004 उक्त वाद खारिज फरमा दिया गया। तत्पश्चात उक्त फैसले दिनांक 29.01.2004 के विरूद्ध राजस्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 03.02.2007 को किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 गणेश एवं उनके भाई कालू को उक्त आराजी में 1/2, 1/2 बराबर हिस्से का खातेदार माना गया एवं तदोनुसार विभाजन किये जाने हेतु पुनः प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात जरिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2009 उक्त विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 गणेश एवं उनके भाई कालू के मध्य आधा–आधा विभाजन कर दिया गया। न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खसरा संख्या 22 मि. में रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 मि. 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 में 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 में 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 26 में 1.17 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के हक एवं स्वामित्व में आई, जिसमें वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/6 समान हिस्से के अधिकारी है। उपरोक्त मुश्तर्का रकबा 2.11 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना वादी एवं अन्य हिस्सेदारान की सहमति के खसरा संख्या 24 का हिस्सा 52/77 में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम अनुचित एवं अवैध रूप से जोड दिया गया। उपरोक्त आदेश राजीनामें पर आधारित था तथा वादी उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं था। अतः उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 6 के हक में अनुचित रूप से दर्ज हिस्सा वादी के हितो के विरूद्व प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा पृथक से चाराजोही की जा रही है। इस प्रकार उक्त शामिलाती पैतृक कृषि भूमि में वादी के पिता गणेश (प्रतिवादी संख्या 1) का आधा हिस्सा अर्थात 2.11 हैक्टेयर है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में भी किया जा चुका है। जैसा कि एतस्मीन पूर्व वर्णित किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 के 5 पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 हैं। उक्त 5 पुत्रों एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त कृषि भूमि के संबंध में कभी कोई विभाजन अथवा पारिवारिक समझौता नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसके हिस्से की विरासत में प्राप्त उक्त पैतृक शामिलाती भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 5 पुत्रों का अविभाजित एवं बराबर हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई उक्त पैतृक भूमि जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य पुत्रों का बराबर हिस्सा है तथा किसी भी एक पक्षकार को उपरोक्त अविभाजित भूमि विक्रय अथवा खुर्द–बुर्द करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के उक्त भूमि में निहित अधिकारों एवं हितों का अतिलंघन एवं अनदेखी करते हुए वादी की जानकारी एवं सहमति बिना एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाजायज दबाव में आकर उक्त अविभाजित पैतृक कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 24 रकबा

हैक्टेयर भूमि में अविभाजित हिस्से के 9/52 भाग का एवं खसरा नम्बर 22/1 का 0.8 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 8 मै0 हरेकृष्णा बिल्डहोम डवलपर्स प्रा0 लि0 को अधिकृत एवं अवैध तौर पर विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 एक वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति है। जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है तथा वह स्वयं लकवे से पीडित होने के कारण वादी संख्या 2 से 5 के नाजायज दबाव का विरोध नहीं कर सका। उक्त भूमि का क्रय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.2010 द्वारा किया एवं उक्त विक्रय पत्र में यह तथ्य गलत तौर पर अंकित किया कि विक्रय की गई भूमि में विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 के अतिरिक्त कोई साझी एवं सेदार नहीं है। जबकि उक्त भूमि पैतृक अविभाजित भूमि है तथा वादी का उक्त भूमि अविभाजित हिस्सा है। उक्त बेचान में गवाह के तौर पर प्रतिवादी संख्या 5 श्री लाराम द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। वादी से ना तो उक्त विक्रय बाबत सहमति ली गई, ही उसे सूचना दी गई, ना ही उक्त विक्रय राशि में से कोई भी हिस्सा वादी को दिया ा। इस प्रकार वादी के अधिकारों का हनन हुआ है एवं उक्त बेचान जरिये विक्रय पत्र नांक 27.03.2010 अनाधिकृत, अवैध, प्रारम्भ से ही शून्य एवं वादी के अधिकारों के परीत व अप्रभावी है। इसी प्रकार पूर्व में उक्त अविभाजित भूमि में से खसरा नम्बर 24 कबा 0.77 हैक्टेयर भूमि का अविभाजित 25/77 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की ानकारी एवं सहमति के बगैर प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती गोपाली देवी को किया जाकर क्त अनाधिकृत बेचान के तहत राजस्व रिकार्ड में इस हद तक अंकन श्रीमती गोपाली वी के पक्ष में करवा दिया। श्रीमती गोपाली देवी, प्रतिवादी संख्या 5 श्री लालाराम की त्नि है। तत्पश्चात् पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 29.03.2010 के जरिये प्रतिवादी संख्या श्रीमती गोपाली देवी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 24 के अविभाजित 52/77 हिस्से में से 5 यर भूमि का बेचान श्रीमती भगवती शर्मा (प्रतिवादी संख्या 7) को कर दिया। जिस हेतु ी वादी से कोई सहमति नहीं ली गई, ना ही उक्त बेचान वादी की जानकारी में था। तिवादी संख्या 7 श्रीमती भगवती शर्मा, प्रतिवादी संख्या 3 श्री रामेश्वर की धर्मपत्नि है। उक्त बेचान भी अवैध एवं अनाधिकृत होने से प्रारम्भ से शून्य, क्षेम एवं वादी के अधिकारों के विपरीत अप्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 प्रतिवादी संख्या 1 पर अनाधिकृत दबाव डालकर उक्त पैतृक अविभाजित भूमि को वादी के अधिकारों एवं हितो के विरूद्ध एवं उसकी सहमति एवं जानकारी के बगैर खुर्द–बुर्द कर रहे है। उक्त भूमि में से कुछ हिस्सा दीगर व्यक्तियों को अवैध तौर पर विक्रय किया गया है एवं कुछ हिस्से को प्रतिवादी संख्या 3 एवं 5 द्वारा अवैध तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 से अपनी पत्नियों के नाम करवा लिया गया है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 25 व 26 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के शामिलाती रिहायशी मकानात निर्मित है जो कि पक्षकारान् के मध्य मुश्तार्का, है जिनका कि जरिये माप एवं सीमांकन तकासमा किया जाना काननून आवश्यक है। वादी को यह वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 12.07.2013 को प्रतिवादीगण के तकासमें से इंकार एवं अविभाजित भूमि को खुर्द–बुर्द किये जाने की धमकी दिये जाने से उत्त्पन्न होकर लगातार जारी है।

वकील वादी ने वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी के चरण संख्या 5 में वर्णित आराजी स्थित ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खसरा नम्बर 22 मि. में रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 मि. 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 में 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 में 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 26 में 1.17 हैक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/6 बराबर हिस्से का स्वामी घोषित किया जाकर उनके मध्य जरिये माप एवं सीमांकन तकासमा किया जाकर पर्चा लगान पृथक से कायम किया जाने एवं तदानुसार वादी को उसके हिस्से की भूमि का कब्जा दिलाये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाने की इस्तदुआ की।

वाद पत्र पेश होने पर उसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। दिनांक 23.12.2013 को अप्रार्थी संख्या 8 के वकील ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश. 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. पेश किया। दिनांक 31.08.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी, एवं प्रार्थना पत्र 022आर3 वादी संख्या 1 एवं प्रार्थना पत्र 022आर4 प्रतिवादी संख्या 1 का कायम मकाम प्रार्थना पत्र पेश

दिनांक 20.10.2015 को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किया ...
पेश किये जाने के आदेश जारी किये।

दिनांक 05.12.2016 को वादी संख्या 1/1 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि उसके एवं प्रतिवादी संख्या 8 के मध्य राजीनामा हो गया है, एवं वह प्रतिवादी 8 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता तथा प्रतिवादी संख्या 8 के अतिरिक्त अन्य रों के विरूद्ध वाद को यथावत चलाना चाहता है। वादी संख्या 1/1 का प्रार्थना पत्र कार किया गया। दिनांक 09.01.2017 को वादी स्वयं ने साक्ष्य स्वरूप अपना शपथ पत्र किया एवं शपथ पत्र के साथ दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

दिनांक 21.03.2017 को वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गयी। वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दावा राजीनामें से डिक्री 21.10.2009 द्वारा वादी पिता का हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है, के वित रहते 1/6 हिस्सा वादी का तथा अब प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर वादी हिस्सा 1/5 का क्लेम है। वकील वादी ने उक्त विवादित आराजीयात में वादी एवं वादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/6 बराबर हिस्से का स्वामी घोषित कर तकासमा ये जाने का निवेदन किया।

हम वादी की एकतरफा बहस, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं गवाहान के बयानों के वलोकनोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि सजरा खानदान प्रतिवादी संख्या 1 के पथ पत्र एवं पूर्व निर्धारित वाद संख्या 61/2007 के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा बर 22 मि. में रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 मि. 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 0.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 में 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 26 में 1.17 हैक्टेयर ल किता 5 एकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी के हक पूर्वाधिकारियों की होने पैतृक सिद्ध होती है, जिसमें प्रतिवादीगण के साथ–साथ वादी का भी हिस्सा अन्यथा ोई बात नहीं होने पर 1/6 में हक अधिकार निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से छ भूमि परिवारिक सदस्यों प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को तथा कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 8 ो बेचान करना ज्ञात होना तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या में नाम दर्ज रिकार्ड होना ज्ञात रहा है।

उक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को विक्रय की गई भूमि पारिवारिक सदस्य होने के नाते विक्रय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय की गई भूमि जिसकी लीज डीड भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जा चुकी है, ही विशुद्ध विक्रय की श्रेणी में मानी जावेगी।

उक्त विवेचन के आधार पर तत्कालिन अधिकारी द्वारा निर्णय व डिक्री परित कर दी गई। इस पर वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 03.04.2017 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर वाद को डिक्री कर दिया। उक्त प्रकरण में वादी ने वादग्रस्त भूमि के विभाजन के अनुतोष की मांग की है इसलिये उक्त प्रकरण में कानूनन प्रथमतः प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के वास्तविक विभाजन के लिये कुरेजात मंगवाये जाने के पश्चात प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी। परन्तु सहवन से प्राथमिक डिक्री किये जाने का अंकन रह गया जो मात्र लिपिकीय त्रुटि है। जो दुरुस्ती की जाकर अंतिम डिक्री के स्थान पर प्रारम्भिक डिक्री जारी होने का संशोधित आदेश जारी करने का वकील प्रार्थी ने निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर आदेश में आंशिक संशोधन कर प्राथमिक डिक्री हेतू संशोधित आदेश जारी किये गये। दिनांक 04.01. 2018 को तहसीलदार (भू0अ0) सांगानेर के पत्र क्रमांक भू0अ0/18/80 दिनांक 04.01. 2018 द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुयी। कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी की दिनांक 23.01.2018 को कुरेजात पर बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी एकतरफा बहस में कुरेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ही वादी का वाद डिक्री करने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस, तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट एवं वादग्रस्त आराजी पैतृक सिद्ध होने और उसमें वादी का हक/अधिकार पूर्णत निहित होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात में मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वादी का वाद विरूद्ध ... [illegible] डिक्री किया जाता है।

प्रस्तावित इन्द्राज खातेदार	ख0न0	रकबा	किस्म		मुताबिक नक्शा ट्रेस
शंकरलाल, रामेश्वर, बाबूलाल, लालाराम पिता श्री गणेश, रूकमा, बसन्ती, नाना उर्फ प्रेम पुत्रिया स्व0 गणेश हि0 बराबर जाति हरि0 सा0 देह	25 26 24 3	0.0100 1.1300 0.1863 1.3263	गै.मु. चाह चाही 1 चाही 1		पीला
राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र स्व0 हनुमान जाति हरि0 ब्रा0 सा0 देह	24	0.1987	चाही 1		इरा
गोपाली देवी धर्मपत्नि लालाराम हि0 20/25 भगवती शर्मा पत्नि रामेश्वर हि0 5/25 जाति हरियाणा ब्रा0 सा0 देह	24	0.2350	चाही 1		गुलाबी
राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र स्व0 हनुमान, शंकरलाल, रामेश्वर, बाबूलाल, लालाराम पिता श्री गणेश, रूकमा, बसन्ती, नाना उर्फ प्रेम पुत्रिया स्व0 गणेश बहि0 850/1000, गोपाली देवी धर्मपत्नि लालाराम हि0 120/1000, भगवती शर्मा पत्नि रामेश्वर हि0 30/1000 जाति हरियाणा ब्रा0 सा0 देह	26 24 2	0.0400 0.0600 0.1000	चाही 1 चाही 1		

उक्तानुसार मुताबिक अंतिम डिक्री वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक कुरेजात तकासमा कर दर हिस्सा व पर्चा लगान अलग–अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। एव तदानुसार वादी को उसके हिस्से की भूमि का कब्जा दिलाया जावे। एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे शमिलाती अविभाजित भूमि पर निर्माण कार्य एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को सरेइजलास सुनाया गया।

(श्री जगत राजेश्वर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर